बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग।

आदेश

संख्या– 5/श्रम स्था0(2)–52/2011 - 1343 /पटना, दिनांक- 15/5/2015

श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न पक्षों यथा श्रम पक्ष, नियोजन एंव प्रशिक्षण पक्ष तथा विभिन्न समितियों एवं बोर्डो के द्वारा लाभुकों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विभिन्न पक्षों तथा समितियों के माध्यम से लाभुकों तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं को किया जानेवाला भुगतान RTGS पद्धति से किया जायेगा। सिर्फ कार्यालय आकस्मिकता व्यय तथा 5,000/– (पाँच हजार रूपये) रूपये से नीचे का भुगतान चेक के माध्यम से होगा।

3. अपरिहार्य कारणों से यदि चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना अवश्यम्भावी हो तो प्रस्ताव में अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन प्राप्त कर हीं चेक से भुगतान की कार्रवाई की जाये।

4. यह आदेश श्रम संसाधन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों यथा उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, सभी श्रम अधीक्षक (सामान्य एवं कृषि श्रमिक) सभी उप निदेशक, नियोजन, सभी सहायक निदेशक, नियोजन एवं नियोजन पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, प्रशिक्षण, सभी सहायक निदेशक शिक्षु, सभी प्राचार्य, औ0प्र0सं0, सभी प्रभारी, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रशासी चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यालय के लिए तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

ह0/- 15/5/2015

(एस0 सिद्धार्थ)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/श्रम स्था0(2)–52/2011 - 1343 पटना, दिनांक- 15/5/2015

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन/ निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/ कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/ सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/ अशोक कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी/ उप सचिव/ संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/ उप निदेशक, प्रशिक्षण/ सहायक श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ सभी सहायक निदेशक, प्रशिक्षण/ उप निदेशक नियोजन/ सहायक निदेशक, नियोजन/ सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 15/5/2015

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/श्रम स्था0(2)–52/2011 – 1343 पटना, दिनांक- 15/5/2015

प्रतिलिपिः– सभी उप श्रमायुक्त, सभी सहायक श्रमायुक्त, सभी श्रम अधीक्षक (सामान्य एवं कृषि श्रमिक) सभी उप निदेशक, नियोजन, सभी सहायक निदेशक नियोजन, सभी नियोजन पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, प्रशिक्षण, सभी सहायक निदेशक शिक्षु, सभी प्राचार्य. औ0प्र0सं0/ सभी प्रभारी, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रशासी चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 15/5/2015

सरकार के सचिव।